प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.05.2025

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की स्कूटी बरामद।

दिनांक 18.05.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त शेर मोहम्मद उर्फ शेरु पुत्र हाजी कलवा निवासी डीएल 1/66 दिलशाद मस्जिद के पास गली न0-1 मुस्तफाबाद दिल्ली हाल पता कौशिक भवन के पास डीएलएफ थाना अंकुर विहार गाजियाबाद को डीएलएफ थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद हुई। बरामद स्कूटी के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है। उक्त स्कूटी बरामदगी व फर्जी नम्बर प्लेट के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2)/345(3) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह स्कूटी उसने कुछ महीने पहले डीएलएफ क्षेत्र से चोरी की थी तथा चोरी करने के बाद उसने इस स्कूटी का रंग बदल दिया था और फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर इस्तेमाल कर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

शेर मोहम्मद उर्फ शेरु पुत्र हाजी कलवा निवासी डीएल 1/66 दिलशाद मस्जिद के पास गली न0-1 मुस्तफाबाद दिल्ली हाल पता कौशिक भवन के पास डीएलएफ थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा दिल्ली में वाहन चोरी के संबंध में 07 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18.05.2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें नाई का काम करने वाला एक व्यक्ति सेक्टर-5 वेव सिटी में स्थित लेवल-अप नामक सैलून में अपने हाथों पर क्रीम लगाने के उपरान्त थूक कर अज्ञात ग्राहक के मुंह पर मसाज करता दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो पर वेव सिटी पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त के विरुद्ध धारा 271/272 BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 19.05.2025 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त अरशद अली पुत्र नूर मोहम्मद निवासी असलम कॉलोनी डासना थाना वेवसिटी जनपद

गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को ड्रीम होम वेव सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया गया कि मैं ड्रीम होम सेक्टर-05 वेव सिटी में लेवल-अप सैलून पर कार्य करता हूँ। मैंने थूक लगाकर ग्राहक के मुंह पर मसाज करने जैसा कृत्य कारित किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

अरशद अली पुत्र नूर मोहम्मद निवासी असलम कॉलोनी डासना थाना वेवसिटी जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना वेव सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

उपनिरीक्षक गणों का iRAD (Integrated Road Accident Database) एप्प में डेटा फीडिंग का प्रशिक्षण

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के दिशा-निर्देशों के क्रम में घटित सड़क दुर्घटनाओं का शत-प्रतिशत विवरण iRAD के माध्यम से डेटा भरे जाने सम्बन्धी कार्यवाही में तेजी लाये जाने के उद्देश्य से आज दिनांक 19-05 -2025 को पुलिस लाइन्स स्थित परमजीत हॉल में अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात के निकट पर्यवेक्षण में एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। iRAD एप्प कमिश्नरेट गाजियाबाद में वर्ष 2021 से क्रियान्वित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य:-

- दुर्घटनाओं का ऑनलाइन एवं गुणवत्ता पूर्ण विवरण इकठ्ठा करना
- दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाना
- अन्य विभागों यथा परिवहन, लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना बाहुल्य) का चिन्हीकरण करना
- दुर्घटना स्थल के सम्बन्ध में सुझाव यथा रेड लाइट, ब्रेकर या अन्य कोई आंशिक सुधार कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना
- सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाया जाना

उक्त कार्यशाला में NIC के डिस्ट्रिक्ट रोल आउट मैनेजर श्री एस0 बी0 तिवारी द्वारा कमिश्नरेट गाजियाबाद के तीनों जोन के सभी थानों से 10-10 उपनिरीक्षक गणों एवं प्रत्येक थाने के कम्प्यूटर ऑपरेटर को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला के उपरांत मेरे द्वारा सड़क दुर्घटना घटित होने की दशा में सड़क दुर्घटना का सम्पूर्ण विवरण iRAD में दिए गए फॉर्म के अनुसार दुर्घटनास्थल पर जाकर भरे जाने हेतु समस्त उपनिरीक्षक गणों को निर्देशित किया गया। कम्प्यूटर ऑपरेटर गणों को सम्बंधित विवेचकों से समन्वय स्थापित कर iRAD एप्प में शत-प्रतिशत डेटा फीडिंग को पूर्ण कराते हुए डेटा परिवहन विभाग को भेजना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिन विवेचकों की आईडी iRAD पर नहीं बनी है, उनको 03 दिवस के अंदर आईडी बनवाये जाने एवं iRAD के वेब पोर्टल पर अपूर्ण भरे गए सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को इसी माह प्रत्येक दशा में पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला नियमित रूप से कराकर

सभी को इसका प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण से गुणवत्तापूर्ण ब्लैक स्पॉट का चिन्हीकरण करने में पारदर्शिता आएगी तथा दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने की दिशा में सार्थक प्रयास किये जा सकेंगे।

उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला में सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात एवं NIC के डिस्ट्रिक्ट रोल आउट मैनेजर उपस्थित रहे।

साइबर सेल थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 29,150/- रु0 की धनराशि वापस करायी गयी ।

आज दिनांक 19.05.2025 को साइबर सेल थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा आवेदक शुभम पुत्र हरवीर सिंह नि0 सै0-9 थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि 29,150/ रू0 वापस कराये गये ।

कार्यवाही का विवरण

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्व की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना विजयनगर को NCRP पोर्टल के माध्यम से दिनांक 15.04.2025 को शुभम पुत्र हरवीर सिंह नि0 सै0-9 थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ 29,150.00/-रू0 की साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई आनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 19.05.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया आवेदक द्वारा पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल थाना विजयनगर